व्यापार

आज कानपुर 30 जनवरी 2019

लघु उद्योगों, कृषि-आवास क्षेत्र को दें ज्यादा कर्ज

☐ पीयूष गोयल ने की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक

- सरकार की ओर से मिलेगी हर संभव मदद
- खुदरा व्यापार को प्रोत्साहन देना जरूरी : गोयल

प्रोजेक्ट उत्कृष्टता के लिए इरकॉन सम्मानित

पुरस्कार प्राप्त करते इरकॉन के अधिकारी।

नवी दिल्ली, 29 जनवरी। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों के लिए रेल अनैलिसिस इनोवेशन एंड एक्सलेंस समिट 2019 के दौरान सम्मानित किया गया है। इरकॉन की ओर से महाप्रबंधक, सिविल विनीत कुमार तथा अपर सिविल, महाप्रबंधक मनोरंज ठाकुर, ने चेयरमैन, रेल अनैलिसिस अशोक गोयल यहां आयोजित एक समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया। इरकॉन ने अब तक भारत तथा 24 से ज्यादा देशों में 500 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न किये हैं।

बाजार भाव

दयालू ज्वैलर्स
14/25 बिहान गंज कानपुर

25150

गल्ला

गेहूं दड़ा 2000-2050, मझला 2025-2075, गेहूं काम 2075-2125, जौ 1950-2000, बेझर 1950-2000, ज्वार 1500-2500, बाजरा 1725-1775,

रुपया एक पैसे घटकर 71.11 के स्तर पर बंद

मुंबई, 29 जनवरी (ईएमएस)। डॉलर के मुक... कमजोरी के साथ 71.11 के स्तर पर बंद हुआ... मंगलवार को चार पैसे घटकर 71.14 के स्तर... सोमवार को आठ पैसे की बढ़त के साथ 71.7...

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-01/2019/84/सीस-4-2019-11(सी0)/2017
लखनऊ : दिनांक: 23 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूंकि मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59 सन् 1988) की धारा-88 की उप धारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य किये जाने वाले करार का प्रारूप अधिसूचना आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सार्वजनिक अधिसूचना संख्या: 6/2018(304/सीस-4-11(सी0)/2017, दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के गजट में और करार द्वारा आच्छादित प्रस्तावित क्षेत्र या भाग में परिचालित प्राधिकृत गाड़ियों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया

और चूंकि प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर लिया गया है,

और, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य करार किया जा चुका है।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा(6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते उक्त करार को निम्नानुसार प्रकाशित करते हैं :-

(आशुतोष
प्रमुख

उत्तर प्रदेश व जम्मू व कश्मीर सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन अनुमोदित

यह करार आज दिनांक 07 जनवरी, 2019 को प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिसे अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और सचिव, परिवहन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल (जिन्हें आगे "जम्मू व कश्मीर सरकार" कहा गया है, जिसे अभि... पदाधीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के पीछे आर्थिक वि... रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्री अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, सरलीकृत ... जाय, इसलिए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है, और

चूंकि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच [illegible] लोकहित में पारस्परिक उपसंजात होने वाले निबंधनों एवं शर्तों पर करना आवश्यक है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य अब पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया

1- यह करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2- अस्थायी परमिट जारी किये जाने की सामान्य सहमति

मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 88(1) धारा 88(1) में सम्पठित किसी बात के होते हुए भी एक संभाग का संभागीय परिवहन अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र, जो दूसरे संभाग या राज्य में विधिमान्य होगा उस संभाग प्राधिकरण या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा मालूम हो, की सहमति से अवसरों के लिए जारी कर सकेगा। अधिनियम के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते कि दोनों राज्यों के संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण इस करार के खण्ड 4, 6 व 1 आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।

3- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन पांच वर्ष का प्रावधान

(एक) यह करार पाया गया कि राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण जम्मू इसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर द्वारा जारी परमिट राज्य/... उत्तर प्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वैध होंगे। सम्भ... प्राधिकरण की संस्तुति पर इन परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन

(दो) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर संचालित मालयान का उपयोग कारोबार दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ... के भीतर अन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे ... जैसा सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 व 84 के ... समझे।

4- मालयान (अस्थायी अनुज्ञा पत्र)

(एक) उपरोक्त खण्ड-2 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दोनों में से एक ... जैसा परमिट पर विनिर्दिष्ट हो, पर संचालन हेतु अधिनियम की धारा 8... अवधि के लिए विधिमान्य मालयान अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, उक्त... आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(दो) यह अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी किये जायेंगे:-

(क) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित ... तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा अर्थात ऐसे यान अन्य... परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध ...

(ख) प्रचालक किसी अन्य शर्तों को जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनि... करना समझे, पालन करेगा।

(ग) अस्थायी परमिट के प्रति करारकर्ता राज्यों का देय कर ई-पेमेन्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। ... में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग ... के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जा... विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का ... जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम जो ... से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान ... कश्मीर के नाम जो सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ... करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो, जैसी भी स्थिति हो ... व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट का ... परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के ... प्रवर्तन दल, जो सीमा के नजदीक हो, को दिया जायेगा। यदि ... तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और ऐसी ... रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

5- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-74 के अधीन ... अनुज्ञा-पत्र

ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कै... प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी की ... द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्गों के लिए किया जायेगा। प्रतिहस्... राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को...

6- ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र

उपरोक्त खण्ड-2 के अध्यधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य ... विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए अ... जारी किये जा सकेंगे। तथापि, यदि किन्हीं कारणवश एक राज्य द्वा...

...में मजबूती के ...से सोना चढ़ा

...29 जनवरी ... विदेशी बाजारों में ...मजबूती के रुख को ...सराफा बाजार में ...ने तेजी जारी रहते हुए ...120 रुपये बढ़कर ...प्रति दस ग्राम हो गया। ...कड़ियों और सिक्का ...उठाव बढ़ने से घाटे की ...को तेजी के साथ ...प्रति किलोग्राम पर ...रही बाजारों में सोने की ...डॉलर प्रति औंस के ...